

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं  
विद्युत वितरण निगमों तथा लेखा संगठन में कार्यरत समस्त अधिकारियों की  
स्थानान्तरण नीति 2008–09 के मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया

**1.0 उद्देश्य :**

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत अधिकारियों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी दक्षता में एतदवृद्धि के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये यह स्थानान्तरण नीति प्रतिपादित की जा रही है। यह नीति इस सिद्धान्त पर भी आधारित है कि क्षेत्रों में तैनात अधिकारी उपभोक्ताओं से सद्भावपूर्ण व्यवहार करते हुये बेहतर उपभोक्ता सेवा और राजस्व वसूली में वृद्धि के प्रति जागरूक रहें।

**2.0 अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति के सामान्य सिद्धान्त :**

अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश इन निर्दिष्ट नीतिगत सिद्धान्तों का सामान्यतः अनुपालन करते हुये निर्गत किये जायेंगे।

**2.01 तैनाती की सामान्य सीमा निम्नवत् होगी :**

सहायक अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य महाप्रबन्धक एवं समकक्ष पदों के अधिकारियों हेतु:-

(1) एक पद पर	-	3 वर्ष
(2) एक जनपद में	-	6 वर्ष
(3) एक वितो/पारेंट क्षेत्र में	-	10 वर्ष

स्थानान्तरण करने के लिए अवधि की गणना हेतु कट ऑफ डेट 31 मई, 2008 मानी जायेगी। यदि इस तिथि को किसी कार्मिक की एक पद पर सेवा 34 माह की भी पूर्ण हो गयी हो तो स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत केस टू केस बेसिस पर उनके स्थानान्तरण पर भी विचार किया जा सकता है।

अधिशासी अभियन्ता/अधीनस्थ अधिकारियों एवं समकक्ष अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक करेंगे परन्तु अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) एवं समकक्ष स्तर तक के समस्त अधिकारियों का स्थानान्तरण पावर कारपोरेशन करेगा। आवश्यकतानुसार किसी भी स्तर के अधिकारी का स्थानान्तरण पावर कारपोरेशन/पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन मुख्यालय से भी किया जा सकता है। जनपद में तैनाती की समय सीमा की गणना अधिकारी द्वारा केवल पावर कारपोरेशन/पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन के अन्तर्गत पूर्ण किये गये सेवा काल से होगी। लखनऊ स्थित पावर कारपोरेशन/पावर ट्रान्समिशन मुख्यालय में मुख्य महाप्रबन्धक एवं समकक्ष अधिकारियों के स्वीकृत पदों पर उपरोक्त समय-सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

- 2.01.1** उपरोक्त समय परिधि के अतिरिक्त प्रशासनिक दृष्टि यथा कारपोरेशन के कार्य हित में, कार्य में अक्षमता इत्यादि तथा अन्य यथा प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति, व्यक्तिगत स्थिति के कारण आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकते हैं।
- 2.01.2** स्थानान्तरित अधिकारियों (श्रेणी क/ख) की संख्या कुल पदों की संख्या के सामान्यतः 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी। यदि स्थानान्तरित अधिकारियों की संख्या उक्त सीमा से अधिक होती है तो अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। पावर कारपोरेशन से उ०प्र० जल विद्युत निगम/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम में अथवा इन निगमों से उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंगों को किये जाने वाले स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति पर किये गये स्थानान्तरण

उक्त सीमा में समिलित नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्युत वितरण निगमों में अधिकारियों को अन्तिम रूप से आमेलित किये जाने के सन्दर्भ में किये गये स्थानान्तरण भी उपर्युक्त सीमा से मुक्त रहेंगे।

- 2.01.3 सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प 07.06.2008 तक प्रस्तुत करने के लिये स्वतन्त्र होंगे तथा तदनुसार तैनाती के यथासम्भव प्रयास किये जायेंगे।
- 2.02 सामान्य परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी को पुनः उसी स्थान/कार्यालय जहाँ पर वह पहले कार्य कर चुका है, 03 वर्ष की अवधि के अन्तराल से पहले तैनात नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो अधिकृत अधिकारी एक स्तर से ऊपर के अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही कर सकेंगे।
- 2.03 जिलों में जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल 6 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित किया जायेगा, ऐसे ही जो अधिकारी अपने सेवाकाल में वितरण/पारेषण क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त वितरण/पारेषण क्षेत्र से स्थानान्तरित किया जायेगा।
- 2.04 अधिशासी अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल (कमिशनरी) में तैनात नहीं किया जायेगा तथा सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 2.05 उ०प्र० पावर कारपोरेशन/उ०प्र०पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन मुख्यालय पर एवं मुख्यालय से सम्बद्ध इकाईयों में असंवेदनशील पदों तथा विशिष्ट/अपरिहार्य तकनीकी इकाईयों जो निम्नलिखित हैं, पर तैनात अधिकारीगण स्थानान्तरण नीति में उल्लिखित तैनाती की सामान्य समय सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परन्तु सीधे पब्लिक डीलिंग के कार्यों से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अधिकारियों को यह शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी:-
- (क) उ०प्र०पावर कारपोरेशन लिमिटेड (मुख्यालय संवर्ग) के समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
- (ख) उ०प्र०पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालयों में अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक तथा समस्त निदेशकगणों से सम्बद्ध पदों पर तैनात अभियन्ता/गैरअभियन्ता अधिकारी।
- (ग) उ० प्र० पावर कारपोरेशन/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन के अन्तर्गत लखनऊ स्थित परीक्षण एवं परिचालन, माइक्रोवेव, नियोजन, रेस्पो, एम०बी०एम०एस०, वाणिज्य, ऊर्जा लेखा निदेशालय, ऊर्जा क्य अनुबन्ध निदेशालय, विशेष ऊर्जा अनुबन्ध एवं टैरिफ मण्डल, ऊर्जा प्रणाली/प्रणाली नियंत्रण, ए०एल०डी०एस०, यूनीफाइड स्कीम, विद्युत आयात निर्यात एवं भुगतान मण्डल, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, रेगुलेटरी एफेयर्स यूनिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, कम्यूटराइजेशन इकाई तथा सीएमयूडी।
- (घ) उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन के अन्तर्गत पारेषण परिकल्पना से सम्बन्धित विभिन्न मण्डल।
- उपर्युक्त इकाईयों में असंवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारी का स्थानान्तरण यदि उसकी गृह मण्डल में तैनाती के कारण प्रस्तावित हो तो विशेष परिस्थितियों में कार्य की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिगत कर, अध्यक्ष महोदय के पूर्वानुमोदन से, उन्हे स्थानान्तरण से मुक्त किया जा सकता है।
- 2.06 संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि नहीं की जायेगी।

- 2.07** यदि किसी अधिकारी को पिछले 05 वर्षों में तीन लघु दण्ड (अर्थात् अधिकारी को लघु दण्ड दिये जाने के पश्चात् उसके विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदन पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त), या एक बृहद् दण्ड दिया गया हो तो उसे संवेदनशील पदों पर तैनात् नहीं किया जायेगा। उक्त 05 वर्षों की गणना स्थानान्तरण सत्र से पूर्व के 05 वर्षों से की जायेगी।
- 2.08** यदि पति-पत्नी दोनों ही कारपोरेशन की सेवा में हों या उनमें से कोई एक सरकारी सेवा में अन्यत्र तैनात् हो तो भी उन्हें यथा सम्बव एक ही जनपद अथवा एक ही स्थान में तैनात् किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
- 2.09** किसी अधिकारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने पर या दूसरे अधिकारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो।
- 2.10** विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन विकलांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जायेगा। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जाये। विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात् करने पर विचार किया जा सकता है।
- 2.11** मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता पिता की तैनाती, प्राधिकृत पावर कारपोरेशन/सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर उनके विकल्प के अनुसार, ऐसे स्थानों पर करने का प्रयास किया जायेगा, जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो।
- 2.12** निजी अनुरोध पर किये जाने वाले स्थानान्तरण पर सम्बन्धित अधिकारियों को यात्रा भत्ता अनुमत्य नहीं होगा।
- 3.0** प्रत्येक संवर्ग के अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर तक के अधिकारियों की तैनाती हेतु उनकी उपयुक्तता, सामान्य प्रतिष्ठा, पूर्व में किये गये कार्यों की समीक्षा में पायी गई दक्षता के बिन्दु विचारित किये जायेंगे।
- 4.0** कारपोरेशन के सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने के तिथि से 2 वर्ष तक नहीं किये जायेंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु अधिकृत अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- 4.01** अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को छोड़ते हुए अन्य उन अधिकारियों जिनकी सेवा निवृत्ति में मात्र दो वर्ष शेष हैं, उनके अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण उनके गृह जनपद /गाजियाबाद/नोयडा जनपद को छोड़ते हुए अन्य इच्छित जनपद में किये जाने पर यथासंभव विचार किया जाय।

## **5.0 स्थानान्तरण प्रक्रिया :-**

- 5.01** प्रबन्ध निदेशक अपने वितरण निगमों में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों की वर्गवार अलग-अलग सूची, जिनके स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से, कारण का उल्लेख करते हुये, अपने निगम से बाहर किया जाना प्रस्तावित हो, निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को उपलब्ध करायेंगे।

- 5.02 प्रबन्ध निदेशक अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) एवं समकक्ष स्तर तक के अधिकारियों की अलग-अलग सूची जिनका स्थानान्तरण असामान्य परिस्थितियों में तथा प्रशासनिक कारणों से प्रस्तावित हो, कारणों का उल्लेख करते हुये अध्यक्ष, महोदय को उपलब्ध करायेंगे।
- 5.03 समस्त स्थानान्तरण / आवंटन दिनांक 30.06.08 तक पूर्ण कर लिए जाए एवं उक्त तिथि के उपरान्त कोई स्थानान्तरण / आवंटन न किया जाए।
- 5.04 नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरण होने के कारण अधिकारी के पद रिक्तता की स्थिति में उसी जनपद या (समीपवर्ती जनपद) में किसी सम्बद्ध अधिकारी को अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्यभार दिया जायेगा। स्थानान्तरित अधिकारी का दायित्व होगा कि वह कार्यमुक्त होने के पश्चात विलम्बतम् निर्धारित समय सीमा के अन्दर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि के पश्चात पूर्व तैनाती स्थान पर किसी भी दशा में अधिकारी को वेतन आहरण का अधिकार नहीं होगा। कारपोरेशन मुख्यालय स्तर से बिना अनुमति प्राप्त किये यदि कोई स्थानान्तरित अधिकारी अवमुक्त नहीं होता है तो इसके लिये नियन्त्रक अधिकारी तथा सम्बन्धित महाप्रबन्धक / मुख्य महाप्रबन्धक / मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2) दोषी माने जायेंगे।
- 5.05 स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्त होने के पश्चात यदि नव तैनाती स्थान पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य भार ग्रहण नहीं करते हैं तो इसके लिये वह स्वयं दोषी माने जायेंगे।
- 5.06 स्थानान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित किये जाने वाले कार्मिक के सम्बन्ध में किसी तथ्य को न छिपाये। यदि भविष्य में कोई ऐसा तथ्य संज्ञान में आता है तो नियन्त्रक अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 5.07 स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना में सहयोग करने के दोषी पाये गये नियन्त्रक अधिकारी / महाप्रबन्धक / मुख्य महाप्रबन्धक / मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2) के विरुद्ध सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुये कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेंगी। स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय।
- 5.08 स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करने एवं स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त कराने हेतु दबाव डालने का प्रैयत्न करने वाले अधिकारियों के इस कृत्य को भी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेंगी। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा ००% सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा यथा आवश्यक निलम्बन के सम्बन्ध में विचार कर समुचित कार्यवाही पर भी विचार किया जा सकता है।
- 5.09 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कर्मिकों को उनके नियन्त्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें परन्तु प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरणों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
- 5.10 पदोन्नति पर स्थानान्तरित किये गये अधिकारी द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनसे पदोन्नति को 'फोर गो' करने के सम्बन्ध में लिखित पत्र लेकर उनके सेवा अभिलेखों में उल्लेख करते हुये तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

- 5.11 स्थानान्तरित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पद मुक्त होने से पूर्व वह महत्वपूर्ण प्रकरणों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बनाये ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।
- 6.0 विभिन्न संगठनों के अन्तर्गत संवेदनशील पद निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं :-
- 6.01 वितरण संगठन :-

- (1) सभी विद्युत वितरण मण्डल तथा नगरीय वितरण मण्डल को सम्मिलित करते हुए एवं उससे संबंधित सभी खण्ड एवं उपखण्ड।
- (2) विद्युत वितरण मण्डल एवं नगरीय वितरण मण्डल के अन्तर्गत विद्युत परीक्षण खण्ड एवं सहायक अभियन्ता (मीटर्स)।
- (3) सभी सामग्री क्य मण्डल एवं उससे संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं के पद।
- (4) सभी सामग्री भंडार मण्डल एवं उससे संबंधित खण्ड/उपखण्ड।
- (5) सभी विद्युत कार्य मण्डल/कार्यशाला मण्डल एवं इससे संबंधित सभी खण्ड।
- (6) 'इक्वेटर' इकाई के सभी पद।

6.02 ट्रान्समिशन कारपोरेशन :-

- (1) सभी विद्युत पारेषण मण्डल एवं उससे सम्बन्धित सभी खण्ड एवं उपखण्ड।

7.0 जानपद संगठन :-

- (1) सभी विद्युत जानपद वितरण मण्डल एवं उससे सम्बन्धित खण्ड एवं उपखण्ड।
- (2) सभी विद्युत जानपद पारेषण मण्डल एवं उससे सम्बन्धित खण्ड एवं उपखण्ड।

8.0 लेखा संगठन :-

- (1) वितरण/पारेषण संगठन में उप-मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के पद।
- (2) उपनिदेशक/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, आन्तरिक सम्प्रेक्षा के पद।
- (3) उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी के वे सभी पद जिन पर धन आहरण एवं वितरण तथा बैंक खाता संचालन के अधिकार प्रदत्त हैं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों  
की स्थानान्तरण नीति 2008-09 के मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया।

1. उद्देश्य:

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय संवर्ग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास, उनके कार्य क्षमता/ कार्य दक्षता में वृद्धि तथा कारपोरेशन द्वारा सम्पादित किये जा रहे विभिन्न कार्यों से भिज्ञ कराने के उद्देश्य से यह स्थानान्तरण नीति प्रतिपादित की जा रही है।

कारपोरेशन, मुख्यालय स्थित समस्त अनुभागों एवं प्रकोष्ठों का उनके कार्य के महत्व के आधार पर वर्गीकरण किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्गत समस्त आदेशों के अतिक्रमण में कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण के प्रयोजन हेतु पुनर्वर्गीकरण निम्नवत किया जाता है:-

क्रमांक समूह-क

1. अधिशासी प्रबन्ध (02अ) अनुभाग
2. अधिशासी प्रबन्ध (02ब) अनुभाग
3. अधिशासी प्रबन्ध (03) अनुभाग
4. अधिशासी प्रबन्ध (04) अनुभाग
5. अधिशासी प्रबन्ध (07) अनुभाग
6. सचिवालय प्रशासन(11) अनुभाग

समूह-ख

7. विभागीय कार्यवाही (05अ) अनुभाग
8. विभागीय कार्यवाही एवं सम्प्रेक्षा (05ब) अनुभाग
9. शिकायत एवं जाँच (05स)अनुभाग
10. शिकायत एवं जाँच (05द)अनुभाग
11. शिकायत एवं जाँच(05ई)अनुभाग
12. शिकायत एवं जाँच(05एफ)अनुभाग
13. गोपन (06)अनुभाग

समूह-ग

14. सचिवालय प्रशासन (लेखा)(13)अनुभाग
15. कार्य 14-अनुभाग
16. अराजपत्रित (9अ) अनुभाग
17. अराजपत्रित (9ब) अनुभाग
18. लेखन सामग्री एवं सी0सी0एम (20) अनुभाग
19. सचिवालय प्रशासन विविध एवं अभिलेख निस्तारण अनुभाग
20. सूचना प्राप्ति अनुभाग (15)
8. समस्त शिविर

### समूह-घ

21. 1. औद्योगिक संबंध एवं विनियम अनुभाग (17)
22. 2. विधि (परामर्शी-21) अनुभाग
23. 3. विधि (वाद-22) अनुभाग
24. 4. कार्मिक एवं वित्तीय नीति एवं वेतन प्रशासन अनुभाग (29)
25. 5. आरक्षण एवं पेन्शन (31) अनुभाग
26. 6. सामान्य प्रशासन (12) अनुभाग
7. कीड़ा कोष्ठक

### समूह-ड.

27. 1. जनशक्ति गणना एवं प्रशासनिक सुधार अनुभाग-01
28. 2. प्रशिक्षण (10) अनुभाग
29. 3. आश्वासन एवं प्रश्न (25) अनुभाग
4. विज्ञापन
5. जनसम्पर्क

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय सर्वंग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व निर्गत समस्त आदेशों को अवकाशित करते हुए सरकार के स्थानान्तरण के संबंध में निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती है। स्थानान्तरण करने के लिए अवधि की गणना हेतु कट आफ डेट 31 मई 2008 मानी जायेगी। समस्त स्थानान्तरण 30.06.2008 तक पूर्ण कर लिए जायें।

#### 1. कार्यालय सहायक श्रेणी तृतीय/सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी एवं समकक्ष

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय के प्रत्येक कार्यालय सहायक श्रेणी तृतीय/सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी एवं समकक्ष का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरण किया जायेगा जिसमें उपरिवर्णित अनुभागों/प्रकोष्ठों/शिविरों में से किसी एक ही अनुभाग/कोष्ठक/शिविर में छ: वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। इसी प्रकार से उस प्रत्येक कार्यालय सहायक श्रेणी तृतीय/सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण एक समूह से दूसरे समूह में किया जायेगा जिसने उपर्युक्त समूहों में से किसी एक समूह में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

#### 2. अनुभाग अधिकारी एवं समकक्ष

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय के अनुभाग अधिकारी एवं समकक्ष अधिकारियों को एक ही अनुभाग/कोष्ठक में अधिकतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त तथा एक ही समूह में सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्थानान्तरित किया जायेगा।

#### 3. अनु सचिव/उप सचिव एवं समकक्ष

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय के उपरोक्त सर्वंग के अधिकारियों को एक समूह में अधिकतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्थानान्तरित किया जायेगा।

#### 4. उप-महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (मुख्यालय सर्वंग) एवं रामकक्ष

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय के उपरोक्त स्तर के अधिकारियों को एक समूह में अधिकतम 3 वर्ष तक तैनात रखा जा सकता है।

5. विभिन्न प्रशासनिक एवं अपरिहार्य कारणों से किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण उसकी तैनाती के समूह से उक्त अधिकतम अवधि के पूर्व भी किया जा सकता है। अनुभाग अधिकारी/अनुसचिव/उपसचिव के पद पर प्रथम तैनाती में, तैनाती का समूह अवश्य बदल दिया जायेगा।

6. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम का समय शेष रह गया हो, उन्हें यथा सम्भव स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

7. सचिवालय सर्वंग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उपरिवर्णित 5 समूहों में से किसी एक समूह से स्थानान्तरित करने के बाद पुनः उसी समूह में सामान्यतः 6 वर्ष से पहले दुबारा नियुक्त (प्रोन्नत आदि द्वारा भी) नहीं किया जायेगा। यदि उस अधिकारी/कर्मचारी ने उस समूह हेतु निर्धारित अवधि पूर्ण कर ली हो।

8. स्थानान्तरण आदेश निर्गत करते समय सम्बन्धित पद धारकों को कार्यमुक्त करने/होने की एक निश्चित तिथि का उल्लेख उनके संगत आदेश में किया जायेगा तथा आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि उनके नियंत्रक अधिकारी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त नियत तिथि तक अवश्य कार्यमुक्त कर दें और तत्पश्चात उनका वेतन स्थानान्तरण वाले नये अनुभाग से आहरित/वितरित किया जायेगा।

9. किसी भी अधिकारी /कर्मचारी को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करने में निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0) के विद्यमान अधिकार पूर्व की भाँति यथावत बने रहेंगे तथा अपरिहार्य कारणों से निर्गत स्थानान्तरण आदेशों में संशोधन/निरस्तीकरण का अधिकार भी निदेशक(का0प्र0एवंप्रशा0) में निहित होगा।

10. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय के सचिवालय प्रशासन (11)अनुभाग द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेशों का सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसका तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नवीन तैनाती के स्थान पर अपना योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। स्थानान्तरण रोकने संबंधी दिये गये प्रत्यावेदनों अथवा मनोवांछित स्थान पर तैनाती के लिए किसी भी स्तर से दबाव डलवाने के प्रयासों को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुए सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

